न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 23 / 2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		कुशालराम जाट निवासी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर ।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री डूंगरराम ।

निर्णय दिनांक – 01/07/2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत कर पीकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में (Confiscate) समपहरण करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। साक्ष्य प्रार्थी में श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक के बयान करवाये गये। साक्ष्य प्रार्थी में पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा अन्य कोई गवाह साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई। वकील अप्रार्थी ने साक्ष्य अप्रार्थी में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन किया गया।
2. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिला रसद अधिकारी नागौर ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2012 को वक्त 5.45 ए.एम. जरिये टेलीफोन थानाधिकारी मेड़ता शहर ने श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक मेड़ता को सूचित किया कि मुझे (थानाधिकारी) को मुखबिर से सूचना मिली कि एन.एच. 89 डांगावास से आगे नागौर बाईपास के पास महादेव होटल के सामने जाने वाले कच्चे मार्ग पर झाड़ियों में गैस टैंकर खड़े है जिनसे अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस टैंकरों से गैस निकालकर रिफलिंग की जा रही है। इस इतला के आधार पर श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तक निरीक्षक मेड़ता मय पुलिस जाब्ता थानाधिकारी मेड़ता शहर श्री विक्रमसिंह सरकारी वाहन लेकर 6.15 ए.एम. पर सरहद डांगावास स्थित महादेव होटल के सामने की तरफ कच्चे रास्ते से आगे झाड़ियों में मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।
3. वक्त जांच मौके पर दो गैस के टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 खड़े थे। टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 के गैस वाल्व के पास कुछ व्यक्ति खड़े वाल्व में रबर पाईप लगाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य कर रहे थे एवं एक पिकअप गाड़ी पास में खड़ी थी मौके पर पहुंचते ही पुलिस जाब्ते को देखकर पिकअप चालक पीकअप लेकर मौके पर भाग गया जिसका पीछा पुलिस जाब्ते ने किया मगर वह भागने में सफल हो गया। पिकअप चालक को पुलिस जाब्ते ने पहचान कर कुशालराम जाट निवासी डांगावास होना बताया। मौके पर टैंकर के पास गैस भरने का कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति झाड़ियों में भाग गये एवं एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा जिसने पूछने पर अपना नाम शरीफ पुत्र शमसुद्दीन जाति पठान मुसलमान उम्र 27 वर्ष गांव मखौली जिला सवाईमाधोपुर बताया तथा पुछताछ करने पर भागने वालों के नाम श्री आमीन पठान पुत्र तईबा खां जाति मुसलमान निवासी खटुपरा जिला सवाईमाधोपुर जो टैंकर नम्बर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 का ड्राईवर होना तथा दुसरा व्यक्ति टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 का ड्राईवर मलखानसिंह पुत्र [illegible]सिंह ग्राम मच्छीपुरा तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर होना बताया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

4. मौके पर जांच करने पर टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 के गैस भरने व निकालने के बीच वाल्व की सील तोड़कर उसकी फ्लांच हटाकर, दूसरी फ्लांच लगाई हुई पाई गई जिस पर पीले रंग की तीन रबर पाईपों से जोड़कर इन पाईपों के आगे प्रेशर रेग्यूलेटर लगाकर 3 घरेलू गैस, सिलेण्डरों मे गैस भरने का कार्य मौके पर पाया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी भारत गैस एस.आर नम्बर 420710–एस., भारत गैस कम्पनी का सिलेण्डर एस.आर. नम्बर 49472 तथा इण्डेन कम्पनी का 77840–ई इन सिलेण्डरों में से गैस टैंकर से गैस निकालकर गैस भरी जा रही थी, जिसे मौके पर पकड़े गये शरीफ पुत्र शमसुद्दीन जाति मुसलमान से मौके पर वाल्व बंद करवाया गया इसी व्यक्ति से गैस टैंकर के वाल्व पर लगी हुई फ्लांच को खुलवाकर टैंक की फ्लांच को वास्ते सुरक्षा लगाया गया।
5. मौके पर दोनों टैंकरों के पास भारत गैस कम्पनी के 3 भरे हुए तथा 13 खाली, इण्डेन गैस कम्पनी के 2 भरे हुए तथा 12 खाली एवं एचपीसी कम्पनी का 1 खाली सिलेण्डर इस प्रकार मौके पर 5 भरे हुए एवं 26 खाली सिलेण्डर पाये गये। मौके पर खड़े दूसरे गैस टैंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 की जांच करने पर उसके बीच के वाल्व की सील को लोहे के पाने से खोला जाना पाया गया। इस टैंकर से अपराधियों द्वारा गैस निकालने का कार्य कार्यवाही से पूर्व किया जाना प्रतीत हुआ, मौके पर टूटी हुई सील नम्बर 578725 पाई गई।
6. इस प्रकार मौके पर भारत गैस कम्पनी के 3 भरे हुए तथा 13 खाली, इण्डेन गैस कम्पनी के 2 भरे हुए तथा 12 खाली एवं एचपीसी कम्पनी का 1 खाली सिलेण्डर कुल 5 भरे हुए एवं 26 खाली सिलेण्डर, एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लांच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील एवं टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 को जब्त किया गया जिनका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण संख्या 06/2013 न्यायालय हाजा में प्रक्रियाधीन है।
7. पिकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 का उपयोग घरेलू गैस सिलेण्डर लाने एवं ले जाने हेतु किया जाना पाया गया था, लेकिन वक्त जांच मौके से पिकअप चालक कुशालराम पीकअप लेकर भाग गया था जिसे पुलिस उप अधीक्षक मेड़ता द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 07.02.2013 को जब्त किये जाने का निवेदन करते हुए पीकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण दर्ज करने का कथन करते हुए पीकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में (Confiscate) समपहरण करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।
8. वकील अप्रार्थी श्री डूँगरराम चौधरी ने प्रार्थी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि अप्रार्थी वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.21/जी.ए. 8836 का रजिस्टर्ड मालिक है अप्रार्थी के इस वाहन को पुलिस द्वारा शक के आधार पर झूठा आलिप्त कर अप्रार्थी के खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। इन्सपेक्टर साहब ने भी अप्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की।
9. अप्रार्थी ग्रामीण परिवेश का किसान वर्ग का व्यक्ति है अप्रार्थी को इस प्रकार के मामलो से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी ने अपने इस वाहन से कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है न ही इस वाहन का उपयोग घरेलू गैस सिलेण्डर लाने एवं ले जाने हेतु किया गया है।
10. प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के उक्त वाहन में कोई गैस सिलेण्डर पाया जाना या गाड़ी में से गैस सिलेण्डर उतारना या भरना नहीं बताया गया है तथा न ही अप्रार्थी के वाहन का कोई नम्बर अथवा पहचान आदि ही बताये गये हैं न ही उक्त गाड़ी की मौके की स्थिति बतायी गयी है।
11. प्रार्थी का नाम कुश्यालराम है तथा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट में कुशालराम बताया है जो अन्य व्यक्ति है। अप्रार्थी को किस पुलिस कर्मचारी ने पहचाना, उसका नाम भी नहीं बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को मिथ्या रुप से आलिप्त किया गया है।
12. अनवान प्रकरण में किसी तरह का अवैध व्यवसाय करने का या परिवर्तन करने का ही कोई आरोप अप्रार्थी पर नहीं होने का कथन करते हुए अप्रार्थी के विरुद्व कार्यवाही हाजा ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

13. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का उवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बहस में अप्रार्थी के संबंध में कथन किया गया कि वक्त जांच मौके पर दो गैस के टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 खड़े थे। टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 के गैस वाल्व के पास कुछ व्यक्ति खड़े वाल्व में रबर पाईप लगाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य कर रहे थे एवं एक पिकअप गाड़ी पास में खड़ी थी मौके पर पहुंचते ही पुलिस जाब्ते को देखकर पिकअप चालक पीकअप लेकर मौके पर भाग गया जिसका पीछा पुलिस जाब्ते ने किया मगर वह भागने में सफल हो गया। पिकअप चालक को पुलिस जाब्ते ने पहचान कर कुशालराम जाट निवासी डांगावास होना बताया। पिकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 का उपयोग घरेलू गैस सिलेण्डर लाने एवं ले जाने हेतु किया जाना पाया गया था लेकिन वक्त जांच मौके से पिकअप चालक कुशालराम पीकअप लेकर भाग गया था जिसे पुलिस उप अधीक्षक मेड़ता द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 07.02.2013 को जब्त किये जाने का निवेदन करते हुए पीकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण दर्ज कराने का कथन करते हुए पीकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। प्रार्थी के उक्त कथनों के अनुसार उक्त पीकअप वाहन मौके पर खड़ा होना एवं तत्पश्चात पुलिस जाप्ता देखकर भाग जाने के कथन मात्र से यह साबित नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा पिकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 का उपयोग अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर लाने एवं ले जाने हेतु किया रहा था। उक्त पीकअप वाहन में से अवैध रूप से भरे जाने वाले गैस सिलेण्डर अथवा कोई खाली गैस सिलेण्डर भी जब्त नहीं हुआ है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य आई है कि उक्त पीकअप वाहन में अवैध रूप से भरे जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर अथवा कोई खाली गैस सिलेण्डर चढ़ाये अथवा उतारे जा रहे थे। इसके अलावा उक्त पीकअप वाहन चालक अप्रार्थी जो पीकअप वाहन लेकर मौके से भाग गया था, उसकी पहचान किसके द्वारा की गई यह भी प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खारिज किया जाता है। अप्रार्थी का वाहन पिकअप नम्बर आर.जे. 21, जी.ए. 8836 को मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

15. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर